न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 72/2015
प्रविष्टि दिनांक 27.04.2015

1–छोटू पुत्र नाथू जाति खाती निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
2–पवन पुत्र छोटू जाति खाती निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
3–कजोड पुत्र केसर जाति नाथ निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
4–मांगीलाल पुत्र केसर जाति नाथ निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
5–रतन पुत्र केसर जाति नाथ निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–प्रहलाद पुत्र स्व0 मोती जाति बलाई निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
2–मदन पुत्र स्व0 मोती जाति बलाई निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
3–सजनी पुत्री स्व0 मोती जाति बलाई निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 14.03.2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी प्रहलाद आदि बनाम छोटू आदि

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री रामलाल सैनी,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

दिनांक 13.03.2024

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 14.03.2015 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 1188/1301 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम भरनी पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक/रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार टोंक के समक्ष 183 बी आर. टी. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथित किया है कि उसके आराजी खसरा नम्बर 1188/1301 रकबा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भरनी मे स्थित है, जिस पर अपीलांट ने गैर कानूनी कब्जा कर

जिला कलेक्टर
टोंक

रखा है, उक्त कब्जा दिलवाया जावे। अपीलांट ने माननीय तहसीलदार टोंक के समक्ष अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि अपीलांट ने आवेदकगण के पिता मोतीलाल से दिनांक 13.02.1995 को आबादी भूमि का प्लाट 40 X 50 फिट का जरिये पंजीयक विकय पत्र द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त किया था और कब्जा प्राप्त कर उक्त भूखण्ड पर एक आरा मशीन लगाकर दिनांक 01.01.1996 से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उक्त प्रकरण मे मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई, मौके की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1188/1301 के पास सरकारी अस्पताल बना हुआ है और उसके पास कजोड़ पुत्र केसर नाथ 07 X 50 फिट पर रोड़ी, पत्थर डालकर कब्जा कर रखा है तथा उसके पास 40 X 50 फिट थली रोड पर 20 X 50 फिट भूमि पर बाउण्ड्री हो रखी है, जिसमें 20 X 30 फिट पर टिन शेड लगाकर अपीलांट ने आरा मशीन लगा रखी है। आवेदक ने जो विकय पत्र अपने हक मे करवाया है,उक्त प्लाट आबादी भूमि मे है। रियायसी है और वहाँ पर उसमें किसी प्रकार की कृषि भूमि नही और न ही विकय पत्र मे है,बेचान की हुई भूमि खसरा नम्बर 1188/1301 का वर्णन नही हैं। इस प्रकार अपीलांट को आवेदकगण के पिता ने आबादी भूमि में अपने कब्जे का ओर अपना आधिपत्य का बताते हुये प्लाट का बेचान किया है, जिसका उक्त कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। जिसका सत्यापन हल्का पटवारी की रिपोर्ट से भी होता है।आवेदकगण के पिता ने उक्त भूखण्ड दिनांक 20.02.1995 को बेचने के बाद जरिये विकय पत्र पंजीयन कराने के बाद अपने जीवनकाल मे कभी कोई उज्र या आपत्ति नही की और उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्रों द्वारा मन मे बदनियती आ जाने के कारण बीस वर्ष बाद उक्त आवेदन तहसीलदार टोक के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि धारा 183 बी के तहत काननून चलने योग्य नही है। चूंकि धारा 183 बी के तहत विवादित भूमि कृषि भूमि हो आबादी व रिहायशी नही हो और कृषि भूमि मे भी मात्र 12 वर्ष की अवधि में ही बेदखल करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। जबकि उक्त प्रकरण मे न तो कृषि भूमि है, मामला रिहायशी भूखण्ड का है और अपीलांट को काबिज हुये भी ऑन रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य एवं पटवारी रिकॉर्ड से भी अपीलांट का कब्जा 1995 से वर्तमान तक लगभग 25 वर्षो से अधिक समय से है। आवेदन कानून रूप से 12 वर्ष से अधिक अवधि के बाद चलने योग्य नही है।अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजात भूखण्ड विकय पत्र आरा मशीन का लाईसेन्स आदि किसी भी बात पर कोई विवेचना ही नहीं की और अपने निर्णय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की भी वास्तविक विवेचना नही कर आराजी खसरा नम्बर 1188 /1301 रकबा 17 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा मान लिया। जबकि ऐसे कोई तथ्य मौका रिपोर्ट मे अंकित नही है। स्वंय द्वारा न तो मौका देखा और न ही स्वंय तहसीलदार ने कोई रिपोर्ट तैयार की मात्र आवेदन को ही पूर्णतया सत्य मानते हुये आदेश पारित कर दिया, जो काननून रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त 2018 (2) आर. आर. टी. पेज नं0– 1537,2019 (2) आर. बी. जे. पेज नं0– 579 एस.सी.2007 (1) आर. आर. टी. पेज नं0– 572,2008 (1) आर. आर. टी. पेज नं0– 28,2007 (1) आर. आर. टी. पेज नं०– 118,2006 (1) आर. आर. टी. पेज नं0– 383,2003 (1) आर. आर. डी. पेज नं0– 623 उद्वरित किये है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने के

जिला कलेक्टर

कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर रोडी,पत्थर,पट्टीया गाड कर,बाऊण्ड्री बनाकर, टीनशेड लगाकर तथा आरामशीन लगाकर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2068–71 वाके ग्राम भरनी तहसील टोंक मे आराजी खसरा 1188/1301 रकबा 17 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि विवादित भूमि कृषि भूमि ना होकर आबादी व रिहायशी भूमि है और उक्त भूमि/प्लाट को अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट्स के पिता से दिनांक 20.02.1995 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है,परन्तु नकल जमाबंदी सम्वंत 2068–71 वाके ग्राम भरनी तहसील टोंक मे आराजी खसरा 1188/1301 रकबा 17 बिस्वा भूमि किस्म नहरी दर्ज है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1995 मे खसरा नम्बर भी अंकित नही है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सामान्य जाति वाला व्यक्ति नियमानुसार क्रय नही कर सकता है तथा पटवारी हल्का भरनी व भू0अ0नि0छान की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी पर अपीलांट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करना सिद्व है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1188/1301 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम भरनी पर रोडी,पत्थर,पट्टीया गाड कर,बाऊण्ड्री बनाकर, टीनशेड लगाकर तथा आरामशीन लगाकर कब्जा/अतिक्रमणकरना पटवारी हल्का/भू0अ0नि0 कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स सामान्य एंव रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 14.03.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक